



3/2012

Political Ownership is the Key Success in the Social Audit Process

An Exposure Visit to Andhra Pradesh

nine-member delegation visited Andhra Pradesh on December 16-21, 2012 for witnessing the existing service delivery patterns in Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) and functioning of social audit processes in Hyderabad, Andhra Pradesh. This exposure visit was under the project 'Contributing towards Corruption Free and Transparent Service Delivery in 'MGNREGS' through Civic Engagement in Jaipur and Tonk districts of Rajasthan, India (CitizensUp)' implemented by CUTS with the support of Partnership for Transparency Fund, US.

Delegates included Sita Devi, Sarpanch Dabich Gram Panchayat of Phagi block; Bhagwan Sahay, Chief Executive Officer, Zila Parishad, Tonk; Deen Dayal Gupta, Block Development Officer, Niwai; four NGO partners Suresh Saini from SAJAG; Atma Ram from ATMA Sansthan; Syoji Ram from SANGARSH Sansthan, and Mohan Meena from Shri Kalyan Sewa Sansthan. Madhu Sudan Sharma and Arti Pandey Tiwari from CUTS were part of the delegation.



On December 18, 2012, delegation visited 'Society for Social Audit, Accountability and Transparency (SSAAT)' office and had sessions on the present status of MGNREGS and processes of social audit in Andhra Pradesh. During the discussions, best practices in the 'MGNREGS', steps of the social audit processes and overall performance and practical issues related to MGNREGS were also discussed. Chaitanya Patel, Programme Officer, SSAAT, and his team members facilitated all the activities related to exposure visit.

On December 19, 2012 the delegation visited field areas to see the social audit in practice and learn the whole process of social audit. The public hearing process was held at *Nyalkal Mandal* of Medak district and presided by the Project Director. The officials present in the hearing were C Siddhar, Project Director; Y Baswanapa, *Mandal Parishad* Development Officer; Nirmal Kumar, Cluster Assistant Project Director; Y Krishna Rao, Additional Vigilance Officer; Ch.Yakambram, State Team Monitor; and M Sailoo, State Resource Person.

The visit aimed at learning the existing best practices in service delivery mechanisms in MGNREGS and functioning of social audit processes in Hyderabad, Andhra Pradesh. The delegates who were part of the exposure were mainly working to ensure better governance and transparency. This visit provided them insights as to how things can be implemented in a better way.

Outcomes

- All the steps of social audit process are learnt and overall enabling environment in support of social audit is witnessed.
- Good convergence in the line departments of the MGNNREGS and SSAAT office.
- Active role of the vigilance office in the recovery process of the misused money and imposed penalties.
- Delegates from the government, gram panchayats, and NGOs are better equipped with best practices initiating action accordingly.

Reflections of Exposure Visit




Social audit concept had emerged from Rajasthan, it had improved the system at many places but it is the irony of Rajasthan that we failed in adopting the system which has the ample capacity to ensure better governance. The administrative set up and political will is favourable at Andhra Pradesh, which has resulted in better implementation of schemes and paved the way to development.

> Bhagwan Sahay Sharma Chief Executive Officer, Tonk

The things are going smoothly because officials and panchayati raj institutions' members are working in harmony to ensure maximum benefits to beneficiaries. Gram panchayats are void of political interference and people also have great faith that their rights will be ensured.







confident that the learning will help us improving the condition of our working areas. Suresh Saini

Secretary, SAJAG Sansthan

Success Stories

Community Action against Corruption in MGNREGS Two Cases of Recovery of Corrupt Money

ala Ram Yadav was living in Village Dhani Bamuwan, Dalniya of Phagi with his wife and three sons (Jagdish Yadav, Shyoji Yadav and Shankar Yadav). His first two sons were married but the third one Shankar was unmarried. Job cards have been issued to all three sons of Lala Ram since his elder son Jagdish was mate of the village.

Being mate, Jagdish illegally entered the name of Reshma as wife of Shankar though he was unmarried in seven musters without doing any work for even a single day and withdrawn ₹10,000 having understanding with the postman. Consortium of Groups for Combating Corruption discovered the issue by filing an RTI application in which Shankar got all the seven musters. Bogus entries were made in the name of family members and other people as well. These entries were highlighted to the media which were then published in newspapers and complaints were made to the concerned Block and District officials. An official enquiry was made and irregularity of ₹26,400 was fixed.

In respect of the report submitted by the Enquiry Team an order was passed by the Block Development Office to recover ₹16,400 from Sarpanch and Gram Sachiv and ₹10,000 from Shankar Yadav, husband of Reshma within 15 days of getting the order otherwise a police case will be lodged against all the three. Finally, ₹26,400 were deposited by all the three people and the issue was closed with the warning that they will not indulge in corrupt practices in future.

Cajan Gurjar, resident of Bichhi village, used to work hard in MGNREGS but his wages were always below than the expected and disproportionate of work done. He lost interest in the scheme and started doing job in the nearby town. One day local ward member demanded the job card and post office passbook of MGNREGS from Sajan saying that he would try to sort out the problem. He was unaware of the fact that the ward member of the village, mate and post office in-charge of the area was making money in his name by showing fake entries in musters and withdrawing money from the post office and dividing it in equal ratio.

Sajan Gurjar, brother of Ramrai Gurjar attended a public meeting organised by the local community facilitator (CGCC) in which he came to know that one should not give passbooks and job cards to the mate or any other person. When Ramrai got to know that his brother has already given his job card and passbook to the mate and ward member, he suggested him to get all these back.

When Sajan requested the ward member to return back his documents, he started giving excuses. Both Ramrai and Sajan along with local community facilitator build pressure upon him to return all documents. When they got the job card and passbook they were surprised to see that lot of fake entries were made in the job card for giving job, and entries of wages withdrawal were made in the passbook. Sajan then made a complaint against the ward member and post office in-charge as they were indulged in corrupt practices.

Both the ward member and the post office in-charge returned ₹4000 to Sajan but he refused to take it and asked them to deposit in the MGNREGS account. The villagers insisted him to take the money and spend the same for some good cause. The issue was closed and the recovered money was kept with Sajan which will be utilised for noble cause in consultation with the community.

पहली बार लोगों ने प्राप्त की फॉर्म नंबर छह की पावती एवं 15 दिन में रोजगार

राजस्थान में सामान्यत: लोगों को मनरेगा में काम बिना फॉर्म नंबर छह के भरे ही दिया जाता है। अगर फॉर्म नंबर छह भरते भी है, तो मनरेगा हितधारक नहीं, बल्कि सेवा प्रदाता ही अपनी सुविधानुसार फॉर्म नंबर छह भरकर मस्टरोल जारी करते हैं। इस प्रक्रिया में कानून की मूल भावना जिसमें कहा गया है कि लोग स्वयं काम की मांग करें, फॉर्म नंबर छह भरकर इसकी पावती प्राप्त करें एवं 15 दिन में रोजगार सुनिश्चित हों, की घोर अनदेखी की जाती है। चूंकि जब लोगों के पास भरे हुए फॉर्म नंबर छह की पावती ही नहीं होती है, अत: 15 दिन में रोजगार नहीं देने पर बेरोजगारी भत्ते की मांग का हितधारकों के पास कोई आधार नहीं रहता है, जिससे कि वे बेरोजगारी भत्ते की मांग कर सके। परिणामत: राजस्थान में अभी तक दस-बीस केसों को छोड़कर किसी को भी बेरोजगारी भत्ते का आज तक कोई भुगतान नहीं किया गया है। जबिक हकीकत यह है कि लोग मौखिक काम मांगते हैं मगर मांगने के महीने बाद भी या कभी कभी तो पूरे वर्ष भर एक दिन का भी रोजगार नहीं दिया जाता है।



उपरोक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 'सिटीजन्स-अप परियोजना' के तहत निवाई, फागी, दूदू एवं सांभर पंचायत समितियों की 6-7 ग्राम पंचायतों में लगभग 260 लोगों ने सामूहिक रूप से रोजगार की मांग की तथा उन्होंने विधिवत फॉर्म नंबर छह भरकर उसकी पावती प्राप्त की। इस प्रक्रिया से सभी ग्राम पंचायत पदाधिकारियों ने विशेष मस्टरोल जारी करके 15 दिन में सभी 260 आवेदकों को रोजगार सुनिश्चित करवाया गया जिससे कि उनको बेरोजगारी भत्ता आदि नहीं देना पड़े। ऐसी गतिविधि इन ग्राम पंचायतों में गत छह सालों में पहली बार हुई थी कि लोगों ने फॉर्म नंबर छह भरकर उसकी पावती के आधार पर 15 दिन में रोजगार पाया है। इस गतिविधि से आम लोगों में काफी आत्मविश्वास जागृत हआ है और अन्य लोग भी फॉर्म नंबर छह भरकर रोजगार की मांग कर रहे हैं।

जारी हुई 861 मजदूरों की अटकी हुई दस लाख सत्रह हजार की मजदूरी

स्थानीय समुदाय बैठक में जन समुदाय द्वारा लम्बे समय से अटकी हुई कड़ी मेहनत की मजदूरी की समस्या को स्थानीय समुदाय प्रेरक आत्माराम ने गंभीरता से लिया। उन्होंने मनरेगा हितधारकों के जोब कार्ड व बैंक पासबुक के विश्लेषण के बाद पाया कि जयसिंहपुरा व खण्डेल ग्राम पंचायत के 861 लोगों के गत जुलाई माह से एक रूपया भी नहीं मिला है जबिक उन्होंने बेहद गर्मी के दिनों में कड़ी मेहनत से काम किया था। आत्माराम ने जन समुदाय को सामुहिक रूप से 'मनरेगा हेल्पलाइन' पर अपनी समस्याएं स्वयं दर्ज कराने व शिकायत नंबर प्राप्त करने का सुझाव दिया तथा कुछ लोगों की शिकायत मौके पर ही दर्ज करवाई गई। देखते ही देखते लगभग 20-25 सामूहिक शिकायतें हेल्पलाइन पर दर्ज करवाई गई। इस सामूहिक कार्य का बेहद अच्छा परिणाम निकला तथा 15 दिन के अंदर-अंदर राज्य स्तर से ब्लॉक व पंचायत पदाधिकारियों को फैक्स से सभी भुगतान तुरंत करवाने के निर्देश प्राप्त हुए। परिणामत: लगभग सभी 861 मनरेगा हितधारकों के लगभग 10 लाख 17 हजार रूपयों की मजदूरी उनके बैंक खातों में स्थानान्तरित की गई।

'मनरेगा' में काम मांगने वालों की संख्या घटी

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में 100 दिन काम मांगने वाले परिवारों की संख्या घट रही है। चार साल पहले 26 लाख परिवारों ने 100 दिन काम मांगा था, जबकि इस साल छह महीने बीतने के बाद 77 हजार लोगों ने ही काम मांगा है। सूबे के हाल का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अनुसूचित जाति बाहुल्य होने के आधार पर नरेगा के पहले चरण में स्थान पाने वाले करौली व सिरोही जिले में ही इस साल गिनती के परिवारों को काम मिला है। वहीं राज्य का ग्रामीण विकास विभाग काम मांग पर आधारित होने का तर्क देकर गरती संख्या पर जवाब देने से पछा झाड़ रहा है।

इसलिए आई कमी

- 1. बारिश के दौरान बंद रहता है काम।
- 2. फर्जी भुगतान उठना बंद हुआ।
- 3. सख्त नियंत्रण से ग्राम पंचायतों की दिलचस्पी घटी।
- 4. राजनीति विरोधियों के इलाके में नहीं देते काम। अनावश्यक शिकायत के डर से ग्राम पंचायत रखती है सतर्कता।

ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अभय कुमार का कहना है कि 'मांगने पर काम देने की योजना है। बारिश अच्छी होने से लोग कम आए हैं। अब तक हेल्पलाईन पर 723 शिकायत आई हैं, दनमें से 721 का निस्तारण हो चुका है।' केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद के सदस्य निखिल डे के अनुसार 'आन्ध्रप्रदेश सहित कई राज्यों में काम पाने वाले परिवारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लोगों को काम चाहिए, लेकिन कम मजदूरी मिलने के कारण लोग आ नहीं रहें।' किसी को काम नहीं मिल रहा या अन्य कोई शिकायत हो तो हेल्पलाइन 1800-180-6606 पर सुबह 10 से शाम 6 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन टोल फ्री है।

'मनरेगा' श्रमिकों के साथ पक्षपात

श्रम विभाग ने न्यूनतम मजदूरी को लेकर हाल में दिए गए निर्णय ने पक्षपाती व्यवस्था कायम कर दी है। समान काम के लिए समान मजदूरी की अवधारणा का माखौल उड़ाता यह निर्णय अकुशल श्रेणी में सामान्य श्रमिकों के लिए 147 रूपए की न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान करता है। जबिक इन्हीं के समकक्ष 'मनरेगा' श्रमिकों को अधिकतम 133 रूपए ही मजदूरी मिलती है। हालांकि शहरी क्षेत्र में काम करने वाले सामान्य मजदूरों के लिए यह अच्छा निर्णय है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में समान काम कर रहे श्रमिकों के लिए गहरी विभाजन रेखा है। उछ्लेखनीय है कि श्रम विभाग ने 1 मई, 2012 से न्यूनतम मजदूरी की नई दरें लागू की है। इसके तहत ग्रामीण विकास विभाग की ओर से क्रियान्वित की जा रही विभिन्न केन्द्र व राज्य की श्रम रोजगार सृजन करने वाली योजनाओं में अकुशल श्रमिकों के लिए उपरोक्त व्यवस्था की गई है। मनरेगा श्रमिकों को इस लाभ से वंचित रखा गया है।

पंचायती राज विभाग को मनरेगा की जिम्मेदारी दी गई है। इसके तहत काम की नपती के आधार पर रूपए दिये जाते हैं। ऐसे में कई मजदूरों को निर्धारित अधिकतम मजदूरी नहीं मिल पाती है। हालांकि उनको 100 दिन के रोजगार की गारंटी है, जिसका उन्हें सीधा लाभ मिलता है। इधर, सामान्य श्रेणी के श्रमिक को 147 रूपए की मजूदरी मिलना तय है। ग्रामीण इलाकों में मजदूरी 200 रूपए प्रतिदिन तक है। कई बार सामान्य मजदूरों को इससे भी अधिक मजदूरी मिलती है।

सूचना लेनी है तो देना होगा पहचान पत्र

हाईकोर्ट ने फर्जी नाम वाले सूचना मांगने की शिकायतों पर चिंता जाहिर की है। साथ ही, राजस्थान सूचना आयोग ने कहा है कि आवेदन के साथ पहचान पत्र मांगने के दिशा-निर्देश दिए जाएं, जिससे सूचना का अधिकार कानून का दुरूपयोग रोका जा सके। कोर्ट ने निजी विश्वविद्यालय को इस कानून के दायरे में मानकर 30 दिन में सूचना देने के राजस्थान सूचना आयोग के आदेश की पालना पर भी रोक लगा दी है।

न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी की याचिका पर यह अंतरिम देते हुए सूचना आयोग व एक अन्य से छह सप्ताह में जवाब मांगा है। तथ्यों के अनुसार श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ के एन.के. दिहया ने नवम्बर, 2011 में यूनिवर्सिटी से सूचना मांगी, जिस पर सूचना आयोग ने 17 मई, 2012 को विधानसभा में पारित कानून के तहत बने निजी विश्वविद्यालय को सूचना का अधिकार कानून के दायरे में माना। आयोग ने जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी को 30 दिन में लोक सूचना अधिकारी नियुक्त कर सूचना देने को भी कहा था। यूनिवर्सिटी की ओर से वकील ऋषभ खंडेलवाल ने कोर्ट को बताया कि निजी विश्वविद्यालय आर.टी.आई. के दायरे में है या नहीं, यह तय नहीं है। यदि आर.टी.आई. के दायरे में मान ले तो भी मांगी गई सूचना निजी प्रकृति की है, इसलिए नहीं मांगी जा सकती।

कोर्ट ने सूचना आयोग से कहा कि पहचान पत्र के रूप में राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस आदि मांगने के लिए सम्बन्धित संस्थाओं को कहा जाए।

In Media





CUTS Centre for Consumer Action, Research & Training (CART)

D-217, Bhaskar Marg, Bani Park, Jaipur 302 016, India, Ph: 91.141.2282062, 2282821, Fx: 91.141.4015395, 2282485 Email: cart@cuts.org, Website: www.cuts-international.org